**सर्वोच्च प्राथमिकता/समयबद्ध**
संख्या-1982/9-8-2013-62ज/13

प्रेषक

**श्रीप्रकाश सिंह,**
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त,
जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

2. समस्त नगर आयुक्त,
नगर निगम, उत्तर प्रदेश।

3. प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।

4. समस्त अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
(द्वारा जिलाधिकारी)

नगर विकास अनुभाग-8 लखनऊ :: दिनांक 17 जुलाई, 2013

**विषयः** उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से पोषित योजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (निधि) नियमावली, 2007 के नियम-14(1) में उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि में जमा धनराशि के उपयोग हेतु जो निकायें निम्न मदों एवं मानदण्डों के अवधारण को पूर्ण करती हों, उसका उल्लेख निकायों द्वारा शासन को प्रेषित की जाने वाली कार्ययोजनाओं/प्रस्ताव में अवश्य किया जाय। इस नियमावली के प्राविधान निम्नवत है :-

14-(1) इस अधिनियम के अधीन अधिरोपण का आगम कोष में विनियोजित किया जायेगा एवं यह आगम उत्तर प्रदेश में व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के विकास हेतु अनन्न रूप से प्रयुक्त होगा, जिसमें निम्न सम्मिलित है :-

(क) बाजार एवं औद्योगिक क्षेत्रों को से जोड़े जाने हेतु सड़कों एवं पुलों का निर्माण, विकास एवं रख-रखाव।
(ख) वित्तीय, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक इकाइंयों को वित्त, सहायता, अनुदान तथा सहायिकी हेतु व्यवस्था।
(ग) उद्योग एंव विपणन तथा अन्य वाणिज्यिक काम्पलेक्सेज की बिजली एवं जल आपूर्ति के लिए अवस्थापना का सृजन।
(घ) सामान्य रूप से व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य अवस्थापना सुविधाओं का सृजन, विकास एवं रख-रखाव।
(ड) सम्बन्धित क्षेत्रों में प्रदूषण मुक्त वातावरण का सृजन, विकास एवं रख-रखाव के लिए वित्त, सहायता अनुदान तथा राजसहायता उपलब्ध कराना।
(च) व्यापार वाणिज्य एवं उद्योग के विकास से जुडे या उनकी सुविधा के लिए ऐसे अन्य कार्य, जिसे राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा विनिर्दिष्ट करें।
(छ) खण्ड (क),(ख),(ग),(घ),(ड) और (च) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए स्थानीय निकायों एवं सरकारी संस्थानों को वित्त, सहायता अनुदान तथा राजसहायता उपलब्ध कराना।

2. उल्लेखनीय है कि प्रदेश में स्थानीय नागर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से पोषित नगर विकास विभाग के अन्तर्गत निम्न योजनाएं संचालित है :-

(1) नगरीय पेयजल योजना।
(2) नगरीय सीवरेज योजना।
(3) नगरीय जल निकासी योजना।
(4) नगरीय सड़क सुधार योजना।
(5) आदर्श नगर योजना।

3. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से पोषित उपर्युक्त योजनाओं हेतु सम्बन्धित स्थानीय नागर निकायों द्वारा पूर्व में प्रेषित किये गये अथवा प्रेषित किये जा रहे प्रस्तावों में इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न कर प्रेषित किया जाय कि प्रस्तावित कार्य उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (निधि) नियमावली की धारा-14 से आच्छादित है तथा प्रस्तावित कार्यो को पूर्व अथवा वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत अथवा प्रस्तावित नहीं किया गया है। जिन निकायों द्वारा उपर्युक्त प्रमाण पत्र कार्ययोजना के साथ प्रेषित नहीं किया जायेगा, उन निकायों की कार्ययोजनाओं पर उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि के अन्तर्गत विचार कर धनराशि अवमुक्त किया जाना संभव नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त जिन निकायों द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत नगर विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित प्रस्ताव/कार्ययोजना पूर्व में प्रेषित किये गये हों वह भी उपर्युक्त आशय का प्रमाण पत्र शासन को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करायेंगे, ताकि उन्हें यथासमय पूर्व में स्वीकृत धनराशि के अवशेष 50 प्रतिशत की धनराशि अवमुक्त किये जाने में कोई कठिनाई न हो।

कृपया उपर्युक्त आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

17/7/2013

( श्रीप्रकाश सिंह )
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. नगर विकास अनुभाग-5।

आज्ञा से,

( श्रीप्रकाश सिंह )
विशेष सचिव।

GO-ANy